राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

कमांकःप.2/लेखा/स्टोर/2016–17/ 9078 दिनांकः 5/5/16

मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध करवाये जाने बाबत बोली सूचना

इस कार्यालय हेतु मासिक आधार पर लगभग चार वाहन (स्वीफट,इण्डिगो,इण्डिको कार/एम्बेसडर कार आदि)एक वर्ष 31.3.2017अथवा आगामी वर्ष हेतु दर अनुमोदित होने तक के लिए किराये पर लिए जाने है।

वाहन किराये पर लिए जाने बाबत शर्ते निम्नानुसार हैः–

1– वाहन से यात्रा राजस्थान के किसी भी जिले के लिये की जा सकती है । वाहन के फयूल एवं रख रखाव/मरम्मत आदि का व्यय एवं वाहन चालक के वेतन आदि का भुगतान ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगे।

2– वाहन टैक्सी परमिट रजिस्टर्ड होना चाहिए एवं पॉच वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

3– टोल टैक्स के अतिरिक्त सभी कर ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा वहन किये जावेगे। ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा चुकाये गये टोल टैक्स का पुनर्भरण इस संबधी रसीद प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा।

4– नियमानुसार आयकर (टी.डी.एस), सर्विस टैक्स आदि की कटौती ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक के भुगतान से की जावेगी।

5– वाहन जिसे राजकार्य पर लगाया जावेगा उस वाहन पर डयूटी के दौरान **ON GOVT-DUTY** की प्लेट लगानी होगी।यात्रा समाप्ति के पश्चात उक्त प्लेट कार्यालय में जमा करानी होगी।

6– विभाग द्वारा चयनित ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक को प्रत्येक वाहन हेतु अमानत राशि के लगभग 15000/–(पन्द्रह हजार रूप्ये) पृथक–पृथक जमा कराने होगे।

7– विभाग द्वारा चयनित ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाने की स्थिति में स्थानीय बाजार से वाहन किराये पर लिया जाकर उसका भुगतान कर दिया जावेगा तथा उस पर होने वाला व्यय संबंधित फर्म के बिल में से वसूल किया जावेगा तथा इस हेतु राजकार्य में होने वाली बाधा के लिये संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

8– किराये के वाहनों हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 9(1)एफ डी.1/बजट/2012 दिनांक 10 फरवरी 2012 एवं समय समय पर इस संबंध में जारी होने वाले परिपत्रों की समस्त शर्तें मान्य होंगी एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबधी किये गये संशोधन मान्य होगे इस बाबत एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करना होगा।

9– वाहनों का किराया राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा वर्तमान में निर्धारित दरों एवं समय समय पर की जाने वाली संशोधित दरों के अनुसार देय होगा ।

अतः उक्त विवरण एवं शर्तो के अनुरूप कोई ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक विभाग को किराये के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमत हो तो लिखित में अपनी उपरोक्त शर्तों पर सहमति का पत्र एवं वाहन की आर0सी0,बीमा इत्यादि सहित दिनांक 18–05–2016 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय मे प्रेषित करावे।

सहायक निदेशक

कमांक– प.2/लेखा/स्टोर/2016–17/ 9078 दिनांकः 5/5/16

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

3. सहायक प्रोग्रामर, आयु.निदेशालय अजमेर को देकर लेख है कि उक्त सूचना को State Public Procurement Portal/ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड

सहायक निदेशक